न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 60/2017

अपीलांट

1. गोमाराम पुत्र स्व. भगाजी, उम्र 48 वर्ष
2. स्व. भगा पुत्र वनाजी के वारिसान
   2/1 श्रीमति जीवी बाई पत्नी स्व. भगाजी, उम्र 78 वर्ष
   2/2 हुली पुत्री भगाजी, उम्र 50 वर्ष
   2/3 असी पुत्री भगाजी, उम्र 45 वर्ष
   2/4 पोनी पुत्री भगाजी, उम्र 42 वर्ष
   2/5 फुली पुत्री भगाजी, उम्र 40 वर्ष
   2/6 ककु पुत्री भगाजी, उम्र 38 वर्ष
   2/7 स्व. प्रतापराम पुत्र भगाजी के वारिसान
   2/7/1 जयपाल पुत्र प्रतापरामजी, उम्र 11 वर्ष नाबालिग
   2/7/2 समाराम पुत्र प्रतापरामजी, उम्र 8 वर्ष नाबालिग
   2/7/3 कोमल पुत्री प्रतापरामजी, उम्र 13 वर्ष नाबालिग
   2/7/4 श्रीमति कन्या पत्नी प्रतापरामजी, उम्र 35 वर्ष, नाबालिग जयपाल समाराम व कोमल जरिये कुदरती वलिया माता श्रीमति कन्या
   2/8 गोमाराम पुत्र श्री भगाजी, उम्र 48 वर्ष, तमाम जातिगण जणवा चौधरी, निवासीगण मुण्डारा, तहसील बाली, जिला पाली।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. स्व. लादाराम पुत्र वनाराम के कायम मुकाम वारिसान
   1/1 नेमाराम पुत्र लादारामजी
   1/2 श्रीमति समी पत्नी स्व. लादाराम, जातिगण जणवा चौधरी निवासीगण मुण्डारा, तहसील बाली जिला पाली।
   1/3 रबी पुत्री लादारामजी पत्नी नवाराम, जाति जणवा चौधरी, निवासी सादडी, तहसील देसूरी, जिला पाली।
   1/4 सुखी पुत्री लादारामजी पत्नी समाराम, जाति जणवा चौधरी, निवासी मुण्डारा, तहसील बाली, जिला पाली।
   1/5 अन्सी पुत्री लादारामजी पत्नी खंगारराम, जाति जणवा चौधरी, निवासी मुण्डाा, तहसील बाली, जिला पाली।
   1/6 वदु पुत्री लादारामजी पत्नी वरदारामजी, जाति जणवा चौधरी, निवासी मुण्डारा, तहसील बाली, जिला पाली।
   1/7 लेहरी पुत्री लादारामजी पत्नी मगाराम, जाति जणवा चौधरी, निवासी सेसली, तहसील बाली, जिला पाली।
   1/8 चम्पा पुत्री लादारामजी पत्नी दगतारामजी, जाति जणवा चौधरी, निवासी डुंगली, हाल विघावाडी, तहसील रानी जिला पाली।
2. राजस्थान सरकार (भूमिधारी) जरिये तहसीलदार बाली, जिला पाली।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

60/2017

गोमा वगैरह बनाम लादाराम के कायम मुकाम नेमाराम वगैरह

पेज नंबर 2/6

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री हरजीराम, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 12/2/20

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी बाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 24/2014 में पारित आदेश दिनांक 27.06.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.06.2017 को निर्णय सुनाया जाना बताया, किन्तु उस दिन कोई निर्णय नहीं हुआ। अपीलांट वाद की पेशी की जानकारी हेतु दिनांक 31.07.2017 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेशी पर गया एवं पेशी की जानकारी चाही गई तो यह बताया गया कि दिनांक 27.06.2017 को प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया है। उसके पश्चात अपीलांट द्वारा दिनांक 31.07.2017 को निर्णय की प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर अपीलांट को दिनांक 01.08.2017 को निर्णय की नकल प्राप्त हुई। अपीलांटगण ग्रामीण परिवेशन के अनपढ है। जैर अपील निर्णय की जानकारी नहीं होने से पूर्व में अपील पेश नहीं की जा सकी। अपील पेश करने में जानबूझकर देरी नहीं की गई है एवं न ही कोई लापरवाही की गई है। अत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन फरमाया जावे। उसके पश्चात वकील अपीलांट ने अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी ग्राम मुण्डारा के पुराने खसरा नंबर 221 रकबा 56 बीघा 13 बिस्वा एवं खसरा नंबर 219मी रकबा 01 बीघा 7 बिस्वा भूमि के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने एवं रेकर्ड दुरूस्ती का अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। सेटलमेंट के पूर्व ग्राम मुण्डारा के पुराने खसरा नंबर 221 रकबा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

60/2017

गोमा वगैरह बनाम लादाराम के कायम मुकाम नेमाराम वगैरह

पेज नंबर 3/6

56 बीघा 13 बिस्वा एवं खसरा नंबर 219मी रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा भूमि जमाबंदी संवत 2030 से 2033 के अनुसार लादा, भगा पिसरान वना 2/3, गोमा पुत्र भगा 1/3 कौम सिरवी निवासी मुण्डारा के नाम खातेदारी दर्ज थी, भू प्रबंधक विभाग ने पर्चा खतौनी संख्या 499 दिनांक 25.02.1978 के अनुसार संपूर्ण 58 बीघा भूमि अकेले लादाराम पुत्र वनाराम के नाम दर्ज कर दी गई। भू प्रबंध विभाग को मूल प्रविष्टियो को परिवर्तित करने का कोई अधिकार नहीं था। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा कोई राजीनाम प्रस्तुत नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट द्वारा अपना जवाब पेश किया, उसके पश्चात तनकीयात कायम हेतु पत्रावली में पेशी दिनांक 27.06.2017 नियत की गई। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तनकीयात कायम किये अपीलांटगण को सुनवाई का अवसर दिये लोक अदालत अभियान कैम्प मुण्डारा में बिना कानूनी प्रावधानो की पालना किये जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। जो कि विधिसम्मत नही है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय अपास्त फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रत्युत्तर देते हुए निवेदन किया कि अपील और उक्त आवेदन मय शपथ–पत्र अपीलांट संख्या 01 गोमाराम स्वंय द्वारा प्रस्तुत किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय गोमाराम की उपस्थिति में राजस्व लोक अदालत कैम्प मुण्डारा में पारित किया गया है एवं उपस्थिति अनुरूप उसका अंगुष्ठ निशान लगा हुआ है। इसी प्रकार उपरोक्त अपील और उक्त आवेदन मय शपथ–पत्र पर भी उक्त गोमाराम का ही अंगुष्ठ निशान लगा हुआ है ऐसी स्थिति में गोमाराम का यह कथन कि दिनांक 27.06.2017 को निर्णय सुनाया जाना था, लेकिन कोई निर्णय नहीं हुआ, उपरोक्त कथन पूर्णरूपेण स्वतः ही गलत प्रमाणित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट गोमाराम की उपस्थिति में गोमाराम की सहमति से लोक अदालत की भावना से लोक अदालत में पारित किया गया है। जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट गोमाराम का जैर अपील निर्णय की पूर्णतया जानकारी थी। अपीलांट ने जानबूझकर हाजा न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने में देरी की है। जिससे उक्त देरी को कंडोन किया जाना उचित नहीं है। अत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत म्याद बाहर होने से खारिज फरमाई जावे। उसके पश्चात वकील अपीलांट ने अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी ग्राम मुण्डारा के पुरान खसरा नंबर 221 रकबा 56 बीघा 13 बिस्वा एवं खसरा नंबर 219मी रकबा 01 बीघा 7 बिस्वा भूमि के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने एवं रेकर्ड दुरूस्ती का अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गोमाराम स्वंय उपस्थित प्रकरण का निस्तारण किये जाने की सहमति प्रदान की। अधीनस्थ न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

की आदेशिका पर अपीलांट गोमाराम स्वंय की हस्ताक्षर है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारो की आपसी सहमति के आधार पर लोक अदालत की भावना से जैर अपील निर्णय पारित किया गया है, एवं कानूनन लोक अदालत में पारित आदेश के विरूद्ध अपील धारा 21 विधिक सेवा प्राधिकारी अधिनियम 1987 अनुसार पोषणीय नहीं है। लोक अदालत में पारित निर्णय, आदेश अवार्ड के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। इसके अतिरिक्त उक्त अपील धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत की गई है, जबकि इस संबध में कोई डिक्री पर्चा प्रस्तुत नहीं हुआ है, एवं कानूनन आदेश के विरूद्ध धारा 223 में अपील पोषणीय नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की भावना से पक्षकारो की आपसी सहमति के आधार पर जैर अपील निर्णय पारित किया है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे। वकील अपीलांट ने अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये– (1) 2018(2)आर.आर.टी 1342 मूर्ति मंदिर श्री ठाकुरजी (गोपाल जी) महाराज व अन्य (2) 2015(2)आर.आर.टी 1420 हरजीत राज बैरवा बनाम कानी देवी व अन्य (3) 2016–17(Supp.)आर.आर.टी 714 कालूराम व अन्य बनाम नंदूदेवी व अन्य (4) 2018(2)आर.आर.टी 1485 रूपाराम व अन्य बनाम मोहरा देवी व अन्य।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमन अधिनियम पर निर्णय पारित किया जाना उचित समझते है। अपीलांट ने हाजा न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निर्णय की जानकारी दिनांक 31.07.2017 को होना जाहिर किया है। अधीनस्थ न्यायलाय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट गोमाराम ने स्वंय दिनांक 27.06.2017 को उपस्थित होकर निर्णय आपसी सहमति से किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की थी एवं अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका पर अपीलांट गोमाराम के स्वंय के हस्ताक्षर है। जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट गोमाराम को जैर अपील निर्णय की जानकारी दिनांक 27.06.2017 हो चुकी थी। उसके पश्चात अपीलांट ने दिनांक 31.07.2017 को नकल आवेदन प्रस्तुत करने का हवाला देते हुए दिनांक 01.08.2017 को नकल प्राप्त होने का अंकन किया है एवं हाजा न्यायालय के समक्ष उक्त अपील दिनांक 28.08.2017 को प्रस्तुत की गई है। जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट को दिनांक 01.08.2017 को नकल प्राप्त होने के लगभग 27 दिन पश्चात अपील प्रस्तुत की गई है, किन्तु अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में उक्त 27 दिनों के विलम्ब को कोई कारण दर्शित नहीं किया है। अपीलांट गोमाराम के अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 26.06.2017 के हस्ताक्षर होना, अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में 27 दिनो के विलम्ब का कोई कारण अंकन नहीं होने से यह स्पष्ट है कि अपीलांट गोमाराम को जैर अपील निर्णय की पूर्णतया

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

जानकारी थी। किन्तु अपीलांट ने जानबूझकर हाजा न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब किया है एवं उक्त विलम्ब को कोई ठोस कारण अपने प्रार्थना पत्र में दर्शित नहीं किया है। जिससे उक्त विलम्ब को कंडोन किया जाकर अपील का म्याद शुमार किये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण दर्शित नहीं होता है। एवं जहां तक गुणवागुण पर निर्णय पारित किये जाने का प्रश्न है तो अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी ग्राम मुण्डारा के पुरान खसरा नंबर 221 रकबा 56 बीघा 13 बिस्वा एवं खसरा नंबर 219मी रकबा 01 बीघा 7 बिस्वा भूमि के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने एवं रेकर्ड दुरूस्ती का अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट ने हाजा न्यायालय के समक्ष उक्त अपील में मुख्य बिन्दु यह उठाया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय लोक अदालत मुण्डारा में बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये पारित किया गया है। इस संबध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 27.06.2017 गोमाराम का अंगुष्ठ का निशान है साथ ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह अंकन किया है कि पक्षकारो ने कानून के अनुसार प्रकरण का निस्तारण किये जाने की सहमति व्यक्त की।" जिससे अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिये जाने का बिन्दु गौण हो जाता है। अब प्रकरण में कानूनी बिन्दु यह उद्भूत होता है कि क्या लोक अदालत में आपसी राजीनामे से किये गये निर्णय के विरूद्ध अपील पोषणीय नहीं है अथवा नहीं ? इस संबध में **2018(2)आर.आर.टी 1485 रूपाराम व अन्य बनाम मोहरा देवी व अन्य** में यह प्रतिपादित किया गया है कि "राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955–धारा 88, 188, 92–सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908–धारा 96(3)–पक्षकारो के बीच राजीनामा के प्रकाश में तथा वसीयत के अनुसारा 12.10 बीघा भूमि के लिये वादीया मोहरा देवी के पक्ष में वाद डिक्री किया–राजीनामा के आधार पर पारित निर्णय के विरूद्ध अपील पोषणीय नहीं है–रेस्पोडेन्ट नं 1/वादीया द्वारा पेश अपील पोषणीय नहीं थी–निर्णीत, राजस्व पअील प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय अवैध है व अपास्त किया।" इसी प्रकार **2015(2)आर.आर.टी 1420 हरजीत राज बैरवा बनाम कानी देवी व अन्य** में यह प्रतिपादित किया गया है कि "राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955–धारा 53 व 188–वाद डिक्री किया–समवर्ती निष्कर्ष–राजीनामा के आधार पर प्रारम्भिक डिक्री पारित की–राजीनामा से डिक्री के विरूद्ध अपील पेश नहीं की जा सकती–निर्णीत, अपील सारहीन है व खारिज की।" इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 2008 डी.एन.जे (SC) 221 State of

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Punjab & Anr. v/s Jalour Singh & Ors. एवं 2018(2)आर.आर.टी 1342 मूर्ति मंदिर श्री ठाकुरजी (गोपाल जी) महाराज व अन्य में उक्त कथन की पुष्टि की गई है। उक्त समस्त न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होते है। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट गोमाराम ने स्वंय उपस्थित होकर लोक अदालत की भावना से निर्णय पारित किये जाने की सहमति व्यक्त करने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय पारित किया है। जिसमें हमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। तथा सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी बाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 24/2014 में पारित आदेश दिनांक 27.06.2017 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे। डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 12/02/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली